

अन्डरटेकिंग

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 8095/IVf-82/Admin.A-14/ Dated June, 2023 में निहित निर्देशों के क्रम में मैंने अपने नेत्रों के इलाज के लिये डाक्टर के परामर्श पर चश्में (लेंस व फ्रेम) सहित रू० 27,759/-रूपये व्यय किया है। विगत तीन वर्षों में मेरे द्वारा चश्मे में हुई व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 06.03.2021 के पश्चात कोई धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं की गयी है। दिनांक 06.03.2021 के पश्चात यह मेरा प्रथम आवेदन है।

A.K.
14.03.24

(अजय कुमार श्रीवास्तव III)

प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,
हरदोई।